संख्या– 662 /26–ब0प्र0–2011– 09सा/09

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, कानपुर नगर, रमाबाई नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झाँसी, उन्नाव, जालौन, गौतमबुद्ध नगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, इटावा, औरेया, बदायूँ, महामायानगर, कांशीरामनगर, एटा,, अम्बेडकर नगर, हरदोई, लखीमपुर–खीरी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग   लखनऊ : दिनांक– 17 अगस्त, 2011

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के निर्माणाधीन आवासों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

मु॰ अभि/
नोडल अधि.

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित लक्ष्य (भवनों का लक्ष्य) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक में बजट प्राविधानित धनराशि में से रू0 1,43,74,75,000/– (**रूपये एक अरब तैंतालीस करोड़ चौहत्तर लाख पिचहत्तर हजार मात्र**) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

18.8.11

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का ब्यय/ उपयोग केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए किया जायेगा। किसी भी दशा में इसका व्यय/उपयोग सामान्य या अन्य वर्ग के लिए नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते एवं पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो।

(4) योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवासों की प्रति आवास अधिकतम लागत रू0 2,45,000/– (रूपया दो लाख पैतालीस हजार मात्र) रखी गयी है, जिसमें अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। योजना के समयबद्ध होने के कारण किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजना के द्वितीय चरण के भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–2008–153 सा0/2008, दिनांक–24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–7931/नौ–5–2009–153 सा0/2008 टी.सी., दिनांक 04–12–2009 एवं शासनोदश संख्या–1654/आठ–2–2011–247सा0/08 टी.सी.–1 दिनांक 10–6–2011 द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों की सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनागत)–60–अन्य शहरी विकास योजनायें, 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03– मा0कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, 35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–1490/दस–2011, दिनांक– 12 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0बी सिंह)
संयुक्त सचिव ।

662 (1)/26-आ0प0/2011

संख्या— ~~(1)/आठ-2-2011,~~ तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/सूचना/कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5— समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6— उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, उन्नाव, ऊरई (जालौन), ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0।
7— **कोषाधिकारी**, जनपद—गाजियाबाद, कानपुर नगर, रमाबाई नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झॉसी, उन्नाव, जालौन, गौतमबुद्ध नगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, इटावा, औरैया, बदायूँ, महामायानगर, कांशीरामनगर, एटा,, अम्बेडकर नगर, हरदोई, लखीमपुर—खीरी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9— आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
11— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
12— निदेशक, राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) उ0प्र0, लखनऊ।
13— मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
14— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, न्रर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
15— निदेशक, आवास बन्धु, जनपद मार्केट, लखनऊ ।
16— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3.
17— नियोजन अनुभाग—3 एवं 4 /आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1 एवं 2
18— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव ।

F.Relese-11(6)

शासनादेश संख्या- 662 /26-ब0प्र0-2011-09सा0/09 दिनांक 17 अगस्त, 2011 का संलग्नक

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	जनपद	आवासों की संख्या (भौतिक लक्ष्य)	आवंटित धनराशि
1	गाजियाबाद	1504	11.848
2	कानपुर	1504	3.098
3	रमाबाई नगर	400	0.18
4	लखनऊ	6400	49.05
5	इलाहाबाद	1392	6.854
6	मुरादाबाद	2392	11.417
7	मथुरा	1040	1.40
8	फैजाबाद	668	0.956
9	फिरोजाबाद	1472	5.034
10	झाँसी	1500	2.50
11	उन्नाव	840	8.33
12	उरई (जालौन)	1500	1.75
13	ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्ध नगर)	500	3.25
14	कौशाम्बी	1000	5.700
15	गाजीपुर	616	1.918
16	इटावा	1500	5.9375
17	औरैया	924	2.208
18	बदायूँ	708	2.330
19	महामाया नगर	500	1.820
20	कांशीराम नगर	1200	4.380
21	एटा	876	2.735
22	अम्बेडकरनगर	1080	2.016
23	हरदोई	1500	3.500
24	लखीमपुर-खीरी	1000	1.470
25	प्रतापगढ़	648	4.066
	योग	32664	143.7475

(कुल निर्गत धनराशि रूपये एक अरब तैतालीस करोड़ चौहत्तर लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव